न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी रतन कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 113/2023 – निगरानी

1. कमलेश पुत्र देवीलाल लुहार बनाम निवासी जिन्द्रास तहसील आसीन्द

1. ग्राम पंचायत जिन्द्रास जरिये, सचिव/सरपंच ग्राम पंचायत जिन्द्रास, तहसील आसीन्द
2. दिनेश मेघवंशी पुत्र जवाहर मेघवंशी निवासी नोला का खेडा, तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

–निगराकार

– गैर निगराकार

निगरानी अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत जिन्द्रास तहसील आसीन्द जरिये पत्रावली संख्या 151/2022 दिनांक 06.06.2022, पटटा संख्या 5 बाबत् निरस्तीकरण

उपस्थित –

1. श्री आदित्य नारायण जाजपुरा अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. श्री दिनेश चन्द्र तिवाडी अधिवक्ता – गैर निगराकार संख्या 01 ओर से
3. श्री नवरतन जोशी अधिवक्ता – गैर निगराकार संख्या 02 की ओर से

निर्णय

दिनांक 23.07.2024

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम विरूद्ध गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी ग्राम पंचायत जिन्द्रास का निवासी हैं। ग्राम पंचायत ने विपक्षी संख्या 02 को जो पटटा जारी किया है उसमें बिना किसी प्रकिया अपनाये व बिना नीलामी की कार्यवाही किये ही पटटा जारी कर दिया गया हैं जो निरस्त योग्य हैं। पटटा जारी करने से पूर्व किसी प्रकार की कोई सार्वजनिक सूचना व उदघोषणा का कोई नोटिस जारी नही किया गया। न ही कोई नीलामी आमंत्रित की गयी। जिस भूमि मे पटटा जारी किया गया हैं, वह आबादी भूमि नही हैं एवं न ही पंचायत की भूमि है। फिर भी मात्र 77/–रूपये की दर से बहुत कम राशि में पंचायत की बेशकीमती भूमि को कोडियों के दाम विक्रय किया गया हैं। पंचायतीराज नियमों की किसी प्रकार की कोई पालना नही की गयी। निवेदन हैं कि निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर विपक्षी संख्या 02 के नाम पर जारी पटटा संख्या 5 को निरस्त किया जावे।

प्रस्तुत निगरानी पंजीबद्व की जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये

२५

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

गये। विपक्षी संख्या 01 व 02 की ओर से जवाब पेश किया गया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

निगराकार ने अपनी बहस में निगरानी मेमों में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम पंचायत ने विपक्षी संख्या 02 को जो पटटा जारी किया है उसमें बिना किसी प्रकिया अपनाये व बिना नीलामी की कार्यवाही किये ही पटटा जारी कर दिया गया हैं जो निरस्त योग्य हैं। पटटा जारी करने से पूर्व किसी प्रकार की कोई सार्वजनिक सूचना व उदघोषणा का कोई नोटिस जारी नही किया गया। न ही कोई नीलामी आमंत्रित की गयी। जिस भूमि मे पटटा जारी किया गया हैं, वह आबादी भूमि नही हैं एवं न ही पंचायत की भूमि है। फिर भी मात्र 77/–रूपये की दर से बहुत कम राशि में पंचायत की बेशकीमती भूमि को कोडियों के दाम विक्रय किया गया हैं। पंचायतीराज नियमों की किसी प्रकार की कोई पालना नही की गयी। निवेदन हैं कि निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर विपक्षी संख्या 02 के नाम पर जारी पटटा संख्या 5 को निरस्त किया जावे।

गैर निगराकार के अधिवक्ताओं ने अपनी बहस में जवाब में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम पंचायत ने पंचायतीराज नियमों की पालना करते हुए विधिवततौर पटटा जारी किया हैं। ग्राम पंचायत ने 01 माह का विधिवत नोटिस आक्षेप जारी करते हुए सम्पूर्ण प्रकिया का पालन करते हुए पटटा जारी किया गया उसमें कोई त्रुटि नहीं की हैं। विपक्षी संख्या 01 ने आबादी भूमि का ही पटटा जारी किया हैं। मौके पर विपक्षी का कब्जा चला आ रहा हैं जिससे विपक्षी संख्या 02 ने तयशुदा राशि अदा करके विधि अनुसार पटटा प्राप्त किया है, जो सही है। निवेदन हैं कि निगराकार की निगरानी आधारहीन होने से खारिज की जावे।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। प्रश्नगत पटटे की विषय वस्तु से संबंधित एक अन्य निगरानी प्रकरण संख्या 15/2024 में भी पटटा संख्या 5 की वैधता /अवैधता पर विधि के परिप्रेक्ष्य में सुनवायी की जाकर निर्णय पारित किया गया। जिसके उपरान्त पाया गया कि उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द जिला भीलवाड़ा द्वारा अपने संशोधित आदेश क्रमांक राजस्व/PGKS/आबादी/2022/521 दिनांकित 11–4–2022 के द्वारा आबादी विस्तार हेतु आरक्षित करने के आदेश प्रदान किये अर्थात् आराजी संख्या 753/641 को आबादी भूमि में आरक्षित करने बाबत् आदेश दिनांक 11–4–2022 को

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

जारी हुए। तत्पश्चात् नामांतरण होकर राजस्व अभिलेख में ग्राम पंचायत जिन्द्रास के नाम पर आराजी संख्या 753/641 रकबा 1.1400 हैक्टेयर में से 0.87 हैक्टेयर हिस्सा आराजी संख्या 754/753 आबादी में दर्ज होकर ग्राम पंचायत जिन्द्रास के नाम पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुआ, जो नामांतरण संख्या 372 दिनांकित 20–4–2022 के द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रश्नगत पट्टा आराजी संख्या 754/753 में से जारी किया गया है, जो आराजी दिनांक 20–4–2022 को आबादी के रूप में ग्राम पंचायत जिन्द्रास के नाम पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुई है। ग्राम पंचायत जिन्द्रास द्वारा जारी पट्टा संख्या 5 को देखने से स्पष्ट होता है कि पट्टा संख्या 5 को जारी करने की पत्रावली कमांक 151/2022 दिनांक 4–4–2022 को ही दर्ज हो गई है, जिसकी दायरी दिनांक 4–4–2022 है अर्थात् आबादी में भूमि दर्ज होने से पूर्व ही पट्टा प्राप्त करने बाबत् विपक्षी संख्या 02 द्वारा पत्रावली प्रस्तुत कर दी गई और ग्राम पंचायत जिन्द्रास द्वारा ऐसी पत्रावली को दर्ज भी कर लिया गया। इस प्रकार पत्रावली दर्ज करते समय दिनांक 4–4–2022 को ग्राम सोजी का खेड़ा की आराजी संख्या 754/753 किस्म आबादी में दर्ज नही थी और ऐसी भूमि बाबत् किया गया आवेदन भी प्रीमेच्योर कहलाता है और इस प्रकार पंचायत द्वारा जारी प्रश्नगत पट्टा पंचायतीराज अधिनियमों के विधि विरूद्ध प्रतीत होने से खारिज योग्य ठहरता हैं।

कार्यालय पंचायत समिति आसीन्द के पत्रांक /पंसआ/पंचा/जांच/2023/1857 दिनांक 13.09.2023 अनुसार विकास अधिकारी पंचायत समिति आसीन्द द्वारा श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, भीलवाडा को उक्त प्रश्नगत पटटे के संबंध में जांच रिपोर्ट प्रेषित की गयी, जिस अनुसार प्रश्नगत पटटे को विपक्षी संख्या 02 को डीएलसी दर से पटटा जारी किया गया, जबकि उसकी राशि 50000/–रूपये से अधिक थी। ऐसे में संबंधित ग्राम पंचायत को पंचायतीराज अधिनियम 1996 के नियम 154 के तहत प्रत्येक पटटे जिनकी राशि 50000/–रूपये से अधिक एवं 2,00,000/–रूपये से कम होने पर पंचायत समिति से अनुमोदन अपेक्षित था, परन्तु ग्राम पंचायत ने बिना पंचायत समिति से अनुमोदन कराये ही पटटे जारी कर दिये गये हैं जो विधि विरूद्व होने से प्रथम दृष्टया ही खारिज योग्य ठहरते हैं।

पत्रावली परीक्षण से जाहिर आया कि ग्राम पंचायत ने प्रश्नगत पटटा विपक्षी को डीएलसी दर से राशि जमा कर पटटा जारी कर दिया गया हैं, जबकि ग्राम पंचायत को उक्त पटटा राज्य हित को मध्येनजर रखते हुये राजस्व आय में वृद्धि के बेहतर उपाय, विधि सम्मत किये जाने चाहिये थे। जबकि ग्राम पंचायत द्वारा पंचायतीराज

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

नियमों से परे जाकर, विधि विरूद्व तरीके से पटटे जारी कर दिये गये है, जो खारिज योग्य ठहरते है।

विकास अधिकारी पंचायत समिति आसीन्द की जाचं रिपोर्ट अनुसार प्रश्नगत पटटे के पडौसों का अवलोकन किया गया, जिसमें पटटा संख्या 5 के पटटे में दक्षिण दिशा के पडौस गलत अंकित पाये गये हैं तथा विपक्षी द्वारा पुराने कब्जे के साक्ष्य हेतु कोई दस्तावेज संलग्न नही किये गये हैं।

उपरोक्त विवेचन अनुसार गैर निगराकार संख्या 02 के नाम पर जो प्रश्नगत पटटा संख्या 5 दिनांकित 09.06.2022 जारी किया गया है, वह पंचायतीराज नियमों के विरूद्व होने से एवं राज्य हितों के विपरीत जाकर, जारी किया गया हैं, जिससे प्रश्नगत पटटा खारिज होने योग्य ठहरता हैं, ऐसे मे निगराकार की निगरानी स्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव –

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत स्वीकार की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत जिन्द्रास द्वारा पटटा संख्या 5 दिनांकित 09.06.2022 को खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति विकास अधिकारी पंचायत समिति आसीन्द एवं ग्राम पंचायत जिन्द्रास पंचायत समिति आसीन्द को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रतन कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा